प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

उपायुक्त, अम्बाला।

कमांक ई0सी0ए0–2–2015/ 28340 दिनांकः 28-4-15

विषयः— **पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के प्रयोजनार्थ जिला अम्बाला की नव गठित ग्राम पंचायतों की अधिसूचना तथा पंचों की सीट के निर्धारण आदेश का प्रेषण।**

उपरोक्त विषय पर आपको इस विभाग की अधिसूचना संख्या का0आ0 76/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 15.04.2015 जिससे ग्राम पंचायत घेलकलां से निजामपुर के नाम से अलग ग्राम पंचायत बनाई गई है, तथा इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए0–2–2015/520 दिनांक 22.04.2015 द्वारा सीट निर्धारण की गई है, की एक–एक प्रति भेजकर अनुरोध है कि इसकी वार्ड बन्दी आदि का समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकूला को अवगत करवाते हुए इस विभाग को सूचित करे।

संलग्नः— अधिसूचना/उक्त आदेश।

Anand Kumar
अधीक्षक (चुनाव)
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठाकंन कमांक ई0सी0ए0–2–2015/ 28341-44 दिनांकः 28-4-15

इसकी एक–एक प्रति इस विभाग की अधिसूचना संख्या का0आ0 76/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 15.04.2015 तथा आदेश संख्या ई0सी0ए0–2–2015/520 दिनांक 22.04.2015 निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, सैक्टर 17, प्लाट नं0 2 पंचकूला।
2. समस्त उप मण्डल अधिकारी (ना0), अम्बाला ।
3. जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी, अम्बाला।
4. खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, अम्बाला–II ।

Anand Kumar
अधीक्षक (चुनाव)
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 अप्रैल, 2015

संख्या का0आ0 76/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015.–हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत घेल कलां, खण्ड अम्बाला–II, जिला अम्बाला के सभा क्षेत्र से निजामपुर के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित निजामपुर के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :–

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
अम्बाला–II	अम्बाला	निजामपुर (हदबस्त संख्या 53)	निजामपुर

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 15th April, 2015

No. S.O. 76 /H. A.11/1994/S. 8 & 7/2015.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 7 read with sub-section (1) of section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Nizampur from the sabha area of Gram Panchayat Ghel Kalan, block Ambala-II, district Ambala and declares the area so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Nizampur as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:-

Schedule

Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Ambala-II	Ambala	Nizampur (Hadbast Number 53)	Nizampur

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 21 अप्रैल, 2015

संख्या ई0सी0ए02–2015/520.–ग्राम पंचायत घेल कलां के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए02–2014/619 दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला अम्बाला की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:–

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र0 सं0	**खण्ड का नाम**	**ग्राम पंचायत का नाम**	**कुल सीट**	**महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)**	**अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित**	**खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित**	**पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित**	**अनारक्षित**
1	अम्बाला–II	घेल कलां	8	3	4	2	1	2
2	अम्बाला–II	निजामपुर	7	3	2	1	1	2

नवराज सन्धु ,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।